जनहित याचिका के जरिए बढ़ती दुर्घटनाओं पर जताई गई चिंता

हाई कोर्ट ने पूछा-'राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे व मवेशियों का जमावड़ा क्यों

राज्य शासन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सहित अन्य को नोटिस

जबलपुर। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे, व मवेशियों के जमावड़े को लेकर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ, प्रबंध निदेशक एमपीआरडीसी व एनएचएआई को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह, सागर और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के हिस्से का निर्माण व रखरखाव नहीं करने से परेशानी हो रही है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से भरे हैं और बेसहारा मवेशी उनके ऊपर पर बैठे रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं। यह मामला समय-समय पर समाचार पत्रों द्वारा भी उजागर किया गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। चूंकि यह रवैया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत

दंडनीय है अतः जनहित याचिका के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है।

टोल रोड होने के बाद भी लापरवाही

जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अवगत कराया गया कि दोनों एनएच टोल रोड हैं। इन सड़कों की स्थिति को समय-समय पर समाचार माध्यमों ने उजागर किया है। लेकिन मौजूदा सड़कों के रखरखाव, मरम्मत व उन्नयन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई संगठनों ने भी सड़क की दयनीय स्थिति के विरुद्ध आवाज उठाई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह सागर और जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के हिस्से को बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लिहाजा, प्रतिवादियों को रखरखाव, मरम्मत, निर्माण व उन्नयन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 71 पीठों का गठन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आगामी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला न्यायालय जबलपुर, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, तहसील न्यायालय सिहोरा व पाटन के प्रकरणों के निराकरण के लिए 71 पीठों का गठन किया गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सचिव जिला सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि सहज, सुलभ व त्वरित न्यायदान को गति देने में राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए पक्षकारों को अदालती चक्कर से मुक्त होने प्रेरित किया जाता है। समझौते की सूरत में छूट का भी प्रविधान किया जाता है।

नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि नगरीय निकायों की लापरवाही के चलते प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, नगर निगम आयुक्त भोपाल और जबलपुर को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।जबलपुर निवासी विजय बजाज की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और हर दिन अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जबलपुर में 10 सितंबर को ही सरकारी और प्राइवेट मेडिकल अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। इस बार डेंगू वायरस के मजबूत वेरिएंट के कारण मौतें बढ़ रही हैं। दलील दी गई कि नगर निगम व अन्य नगरीय निकायों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं भी फॉगिंग मशीनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यदि उचित कीटनाशक के साथ फॉगिंग मशीनों का उपयोग किया जाए और स्वच्छता बनाए रखी जाए तो डेंगू वायरस को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मप्र के नगर निगम में भ्रष्टाचार के कारण मप्र की जनता त्रस्त है। इसके चलते हर दिन डेंगू से लोगों की मौत हो रही है।

हाई कोर्ट ने पूछा-'राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे व मवेशियों का जमावड़ा क्यों

हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे व मवेशियों के जमावड़े को लेकर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ, प्रबंध निदेशक एमपीआरडीसी व एनएचएआई को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह, सागर और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के हिस्से का निर्माण व रखरखाव नहीं करने से परेशानी हो रही है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से भरे हैं और बेसहारा मवेशी उनके ऊपर पर बैठे रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं। यह मामला समय-समय पर समाचार पत्रों द्वारा भी उजागर किया गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। चूंकि यह रवैया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत दंडनीय है अत- जनहित याचिका के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अवगत कराया गया कि दोनों एनएच टोल रोड हैं। इन सड़कों की स्थिति को समय-समय पर समाचार माध्यमों ने उजागर किया है। लेकिन मौजूदा सड़कों के रखरखाव, मरम्मत व उन्नयन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई संगठनों ने भी सड़क की दयनीय स्थिति के विरुद्ध आवाज उठाई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह सागर और जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के हिस्से को बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लिहाजा, प्रतिवादियों को रखरखाव, मरम्मत, निर्माण व उन्नयन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

हाई कोर्ट ने पूछा-राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे और मवेशियों का जमावड़ा क्यों

सुनवाई ● राज्य शासन, प्रमुख सचिव लोक निर्माण सहित अन्य को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे व मवेशियों के जमावड़े को लेकर जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव, इंजीनियर-इन-चीफ, प्रबंध निदेशक एमपीआरडीसी व एनएचएआइ को नोटिस जारी किए हैं। सभी को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता प्रांजल तिवारी की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह तोमर व आरजु अली ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह, सागर और राष्ट्रीय राजमार्ग-45 जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के हिस्से का निर्माण व रखरखाव नहीं करने से परेशानी हो रही है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों से भरे हैं और बेसहारा मवेशी उनके ऊपर पर बैठे रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोग मारे गए हैं। यह मामला समय-समय पर समाचार पत्रों द्वारा भी उजागर किया गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। चूंकि यह रवैया राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत

दंडनीय है अतः जनहित याचिका के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है।

टोल सड़क होने के बाद भी लापरवाही : जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अवगत कराया गया कि दोनों एनएच टोल सड़क हैं। इन सड़कों की स्थिति को समय-समय पर समाचार माध्यमों ने उजागर किया है, लेकिन मौजूदा सड़कों के रखरखाव, मरम्मत व उन्नयन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई संगठनों ने भी सड़क की दयनीय स्थिति के विरुद्ध आवाज उठाई है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबलपुर से ग्वालियर वाया दमोह सागर और जबलपुर से भोपाल वाया राजमर्ग के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-43 और 45 के हिस्से को बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लिहाजा, प्रतिवादियों को रखरखाव, मरम्मत, निर्माण व उन्नयन के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

माता-पिता का भरण-पोषण करना बच्चों का कर्तव्य

नप्र, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने एक आदेश में साफ किया कि माता-पिता का भरण-पोषण करना बच्चों का कर्तव्य है। यदि याचिकाकर्ता भूमि के असमान वितरण से व्यथित है, तो उसके पास सिविल मुकदमा दायर करने का विकल्प है, लेकिन वह अपनी मां को भरण-पोषण का भुगतान करने के अपने दायित्व से नहीं भाग सकता। एसडीएम कोर्ट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश और एडीएम नरसिंहपुर के संशोधित आदेश को बहाल रखते हुए आठ हजार रुपये यानि कि चारों बेटों को दो-दो हजार रुपये के गुजारा भत्ता आदेश को यथावत रखने की व्यवस्था दी। यह मामला नरसिंहपुर निवासी एक वृद्ध मां से संबंधित है। नरसिंहपुर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक बेटा हाई कोर्ट पहुंच गया। उसकी दलील थी कि उसे मां ने किसी तरह की संपति नहीं दी और वह भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि सवाल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्होंने बच्चों को कितनी संपति दी है। यह बच्चों का कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करें।

फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण में अग्रिम जमानत नहीं

नप्र, जबलपुर : हाई कोर्ट फर्जी हस्ताक्षर प्रकरण के आरोपित हिमांशु श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामला लौह अयस्क कंपनी जबलपुर के सिहोरा के हरगढ़ स्थित मेसर्स यूरो प्रतीक इंडस्ट्री से संबंधित है। राज्य शासन की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध कर दलील दी गई कि फर्जी हस्ताक्षर से दस्तावेज तैयार कर कंपनी के दो निदेशकों को बाहर करने का खेल खेला गया है।

संज्ञेय अपराध में राजनीमा स्वीकार्य नहीं

नप्र, जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट ने एक आदेश में साफ किया कि संज्ञेय अपराध में आपसी समझौते के आधार पर आरोप-पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। याचिका निरस्त की जाती है। भोपाल निवासी जसप्रीत सिंह चीमा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि अनावेदक सौरभ चौकसे की शिकायत पर पिपलानी थाने में उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था।

मत्स्य विभाग के तत्कालीन संचालक के विरुद्ध अवमानना प्रकरण दर्ज करें

नप्र, जबलपुर : हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर मत्स्य विभाग के तत्कालीन संचालक ओपी सक्सेना के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक जैन ने कहा कि हाई कोर्ट को अधीनस्थ अदालतों के आदेशों की अवहेलना पर भी अदालत की अवमानना की धारा-10 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने विभाग के सहायक संचालक कार्यालय द्वारा दायर उस याचिका को भी निरस्त कर दिया जिसमें श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पन्ना निवासी सुवेक कुमार विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता मुकेश पांडे ने पक्ष रखा कि सुवेक मत्स्य विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदस्थ था। 1999 में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसे श्रम न्यायालय में चुनौती दी गई। श्रम न्यायालय, सागर ने 2006 में सुवेक को बहाल करने के आदेश दिए।

सही उत्तर के बावजूद कम अंक देने पर प्रमुख सचिव शिक्षा से मांगा जवाब

नप्र, जबलपुर : हाई कोर्ट में दसवीं की एक छात्रा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसके सही उत्तर देने के बावजूद उसे कम अंक दिए गए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी सतना व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतना के प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

याचिकाकर्ता सतना निवासी छात्रा दिशा पांडे की ओर से पिता दिलीप पांडे की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि दिशा ने वर्ष 2024 में माशिमं द्वारा आयोजित की गई दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में संस्कृत विषय में छात्रा को 76 अंक दिए गए थे। उसने मंडल से अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मांगी और पुनर्गणना के लिए भी आवेदन किया।